उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–6
सं0–50 / 38–6–13–25एसजीएसवाई / 12टीसी
लखनऊः दिनांक 21 जनवरी, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–888 / 38–6–12–32एसजीएसवाई / 2010, दिनांक– 20–09–2012 द्वारा अस्थाई रूप से सृजित थीमैटिक एक्सपर्ट्स के पदों पर चयन हेतु निम्नानुसार सात सदस्यीय **'उच्च स्तरीय चयन समिति'** का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– श्री राजीव कपूर, –अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
2– श्री कामरान रिजवी, –सदस्य
गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
3– श्री आमोद कुमार, –सदस्य
सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4– सुश्री कामिनी रतन चौहान, –सदस्य
अपर आयुक्त, व्यापार कर, उ0प्र0।
5– निदेशक, –सदस्य
गिरि विकास अध्ययन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
6– मिशन निदेशक, –सदस्य
उ0प्र0राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
7– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन –सदस्य
के प्रतिनिधि के रूप में

2– उपरोक्त चयन समिति द्वारा थीमैटिक एक्सपर्ट्स का चयन एन.आर.एल.एम. के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों एवं गाइड के अनुसार किया जाएगा। समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन कर संस्तुति सहित सूची शासन को अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायी जाएगी।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–50(1)/38–6–2013,तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2– मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3– सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
5– निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6– समिति के समस्त पदाधिकारीगण।
7– स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9– मिशन निदेशक/अपर आयुक्त, एसआरएलएम, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश नारायण)
उप सचिव।